

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर।
- (2) जिलाधिकारी, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।
- (3) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 1999

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे से प्राप्त भूमि निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी पाश्चात्तिक शासनादेशों द्वारा भूमि निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है। निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण को सूचना अनुसार अधिनियम, 1976 की धारा-10 (3) व 10 ;5द्ध एवं 10 ;6द्ध की कार्यवाही के उपरान्त विवाद रहित शासन के कब्जे में शुद्ध रूप से प्राप्त भूमि 10,56,91,856.20 वर्गमीटर (दिसम्बर, 1998 तक) प्राप्त हुयी है, जिसका नगर बस्तीवार विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है। अधिनियम, 1976 के निरसन के उपरान्त उपरोक्त भूमि का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि शासन में निहित हो चुकी भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके तथा खुर्द बुर्द न हो। इस हेतु निस्तारण प्रक्रिया के तहत क्रमबद्ध कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में निहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का निस्तारण निम्न व्यवस्था एवं समय-सारिणी अनुसार सुनिश्चित किया जाय :-

(1) सर्वप्रथम सभी शासकीय विभागों के स्थानीय अधिकारियों से 20 दिन का समय देते हुये ज्ञात कर लिया जाय कि क्या उन्हें शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार उन विभागों की सूची तैयार कर ली जाय, जिन्हें आवश्यकता है।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(2) इस बीच शासन में निहित हो चुकी/कब्जा प्राप्त भूमि जो उपलब्ध करायी जा सकती है, को सूचीबद्ध कर लिया जाय। उन्हें मौके पर भी चिन्हित कर लिया जाय। यह कार्य इच्छुक विभागों की सूची तैयार करने तक पूरा कर लिया जाय।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(3) विभागों की सूची पूर्ण होते ही इन विभागों की एक बैठक कर ली जाय, जिसमें उन्हें उपलब्ध भूमि का ब्यौरा तथा मौके पर दिखा दी जाय तथा विकल्प ले लिया जाय कि वे कौन सी भूमि लेना चाहते हैं।

(30 नवम्बर, 1999 तक विकल्प प्राप्त कर लिया जाय)

(4) प्राप्त माँग तथा विकल्पों पर यथा सम्भव विचार करते हुये आवंटन का प्रस्ताव 31 दिसम्बर, तक अन्तिम कर लिया जाय। इस हेतु सभी इच्छुक विभागों की बैठकें इस बीच आवश्यकतानुसार कर ली जायं।

(31 दिसम्बर, 1999 तक आवंटन प्रस्ताव को अन्तिम रूप)

(5) सक्षम स्तर से प्रस्तावित आवंटन का अनुमोदन 15 जनवरी, 2000 तक प्राप्त कर आवंटन पत्र निर्गत कर दिया जाय।

(15 जनवरी, 2000 तक)

(6) अवशेष भूमि के निस्तारण के लिये नजूल भूमि के अनुसार नीलामी/सील्ड बिड आमंत्रण किया जाना होगा। इस हेतु नीलाम किये जाने वाली भूमि की सूची 31 जनवरी, 2000 तक तैयार कर लिया जाय। इन्हें मौके पर भी चिन्हित कर दिया जाय। इनका निस्तारण समुचित 'लाट' तदनुसार 31 जनवरी व 31 मार्च, 2000 के मध्य किया जाय।

क पया उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करते हुये क त कार्यवाही की प्रगति से शासन को भी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अवगत कराया जाय।

मण्डलायुक्त प्रत्येक कार्यवाही की समयान्तर्गत पूर्ण होने की समीक्षा कर मुझे अवगत कराते रहेंगे।  
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
योगेन्द्र नारायण  
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण सचिव, आवंटन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त भूमि के निस्तारण एवं चिन्हीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता पर करायें एवं क त कार्यवाही से निदेशक के माध्यम से शासन को सूचित करें। आवश्यक अपेक्षित सहयोग सक्षम प्राधिकारियों से भी प्राप्त कर लें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव।

**अधिनियम की धारा-10(3) व (10) 5ए 10(1) की सूचना का विवरण माह जनवरी, 1999 तक**

नगर बस्ती काधारा 10(3) में प्रकाशनार्थधारा 10(3) के अन्तर्गतधारा 10(5) व 10(6) शासन के कब्जे में शुद्ध रूप

नाम आदि	भेजी गई अधिसूचनाएं	प्रकाशित होकर राज्यके अंतर्गत कुल कब्जे मेंसे प्राप्त भूमि/अपील		में निहितआई भूमि		के बाद	
1. देहरादून	411	1243451.47	388	1163916.38	427912.70	154	406246.96
2. सहारनपुर	1293	10025643.02	1179	80861.04	3753893.01	503	2286862.58
3. मेरठ	1492	14176236.33	932	7330035.26	2003502.19	413	2003522.19
4. मुरादाबाद	1513	5279495.47	1481	4943371.00	3678074.33	1100	3471050.19
5. बरेली	4451	21555405.48	4256	21524645.28	5143987.42	1588	4915507.16
6. अलीगढ़	921	6219192.15	757	4658602.63	1131258.11	205	845583.07
7. आगरा	3867	28879165.43	3837	28590736.43	10978524.87	852	8835592.14
8. कानपुर	4350	63575678.16	3804	38222074.67	8622209.13	665	6544282.73
9. लखनऊ	4210	27354425.19	4163	27156917.10	15071468.00	2300	15071468.00
10. इलाहाबाद	8863	66413852.13	7667	61351528.87	49669380.35	6708	49406070.14
11. वाराणसी	5749	31228107072	4483	26300032.62	10266212.45	1533	10157992.40
12. गोरखपुर	837	2795147.40	661	2225945.24	1743207.57	569	1667668.57
योग :-	37957	278748000.05	33608	232353905.60	112511651.22	16650	105691856.20

(सूचना दिसम्बर ९ तक तैयार की गई)

प्रेषक,

लालता प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उत्तर प्रदेश नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

नगर भूमि अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 1984

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-23 के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिग्रहीत भूमि का आवंटन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-10 (5) एवं (6) में अधिग्रहीत भूमि का उक्त अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत आवंटन करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विधि, प्रक्रिया एवं शर्तों के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

**(क) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन, विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें**

ऐसे भू-खण्ड, जिनका उपयोग महायोजना में आवासीय प्रदर्शित किया गया है तथा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक रूप से उस क्षेत्र का उपयोग आवास हेतु किया जा रहा है, को आवंटित करने में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

2. जो भू-खण्ड राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों द्वारा वांछित नहीं होंगे उन्हें विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं स्थानीय निकाय तथा हरिजन एवं दुर्बल वर्ग आवास नियम तथा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को आवंटित किया जायेगा। उक्त संस्थाएँ इन भू खण्डों पर अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण करेंगी।

3. राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटन अधिग्रहण मूल्य एवं उस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर मूल्य पर किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों, हरिजन एवं दुर्बल वर्ग आवास निगम तथा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को आवंटन बाजार मूल्य दर पर किया जायेगा।

4. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों को एक एकड़ से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटित नहीं किये जायेंगे।

5. जो भू-खण्ड विद्यालयों तथा चिकित्सालयों (सरकारी व निजी) के निर्माण हेतु दिये जायेंगे, उनसे बाजार मूल्य दर के 40 प्रतिशत के रियायती दर पर मूल्य लिया जायेगा। अन्य उपरोक्त संस्थाओं को भी यदि उपरोक्त निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जायेगी तो उनसे भी यही मूल्य लिया जायेगा।

6. सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों को आवंटित भू खण्डों पर यह प्रतिबन्ध होगा कि वे दो वर्ष की अवधि के भीतर नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कर लें।

7. यदि उपरोक्त में से कोई भी संस्था किन्हीं भूखण्डों को लेने के लिये इच्छुक नहीं हो तो यह भूखण्ड सार्वजनिक नीलामी द्वारा आवास हेतु निस्तारित किये जायेंगे।

8. जिन सहकारी समितियों को आवंटन के लिये पात्र माना जायेगा उनके तथा उनकी सदस्यता आदि के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पृथक से दिये जायेंगे।

**(ख) अद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-**

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भू उपयोग उद्योग प्रदर्शित किया गया हो अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है वहाँ यदि वास्तविक रूप में उस क्षेत्र का प्रयोग अद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो, को आवंटित करने में राज्य एवं केन्द्र सरकार के उद्योग विभाग उनके अधीन उपक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उसके उपरान्त जो भूमि अवशेष बचेगी, उसे उद्योग विभाग अन्तर्गत आने वाले नियम, जो अद्योगिक विकास से सम्बन्धित हों, को आवंटित किया जायेगा जो इन भूखण्डों को विकसित कर अपने सामान्य नियमानुसार अद्योगिक प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग करेंगे। उक्त संस्थाओं से अद्योगिक भूखण्डों का मूल्य, बाजार मूल्य दर पर लिया जायेगा। उपरोक्त से बची हुयी भूमि का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जायेगा।

**(ग) व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-**

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भू उपयोग व्यवसायिक दर्शाया गया हो अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ यदि वास्तविक रूप में उस क्षेत्र का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, को बाजार मूल्य दर पर आवंटित करने में राज्य एवं केन्द्र सरकार के व्यवसायिक विभागों एवं उनके उपक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके उपरान्त शेष बची हुई भूमि भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं स्थानीय निकायों को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु बाजार मूल्य दर पर आवंटित किया जायेगा।

यदि उपरोक्त में से कोई भी संस्था कुछ भूखण्डों को लेने के लिये इच्छुक नहीं है तो वह भूखण्ड व्यवसायिक प्रयोजन हेतु सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

**(घ) कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन विधि, प्रक्रिया एवं शर्तें :-**

ऐसे भूखण्ड जिनका महायोजना में भू उपयोग हरित पट्टी दर्शाया गया है अथवा जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक रूप में उनका प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिये किया जा रहा है, को आवंटित करने में आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों के पार्क बनाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन भूखण्डों को मूल्य अधिग्रहण मूल्य तथा इस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर होगा। इसके पश्चात बची हुयी भूमि उद्यान विभाग, कृषि विभाग तथा वन विभाग को उद्यान प्रयोग अथवा वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जायेगी। इसका मूल्य भी अधिग्रहण मूल्य तथा इस पर 100 प्रतिशत रख-रखाव शुल्क के योग के बराबर होगा। राजस्व अभिलेखों में समस्त भूमि का स्वामित्व शासन के नाम ही रहेगा।

2. उपरोक्त सभी आवंटन निम्न परिस्थितियों में निरस्त किये जा सकेंगे और आवंटित भूमि शासन में प्रत्यावर्तित कर ली जायेगी :-

1. भूमि का उपयोग आवंटन में निर्धारित प्रयोजन के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन हेतु किये जाने पर।
2. किन्हीं भी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर।
3. सक्षम प्राधिकारी अपनी नगर बस्तियों में अर्जित की भूमि का विस्तृत विवरण प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायेंगे तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं दुर्बल वर्ग आवास निगम, पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों आदि से आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आवंटित करेंगे। यह आवेदन-पत्र विज्ञापन की अवधि से दो माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सादे कागज पर दस रुपये के स्टाम्प शुल्क सहित स्वीकार किये जायेंगे।
4. भू आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करने हेतु प्रत्येक नगर बस्ती के लिये निम्नानुसार एक आवंटन समिति का गठन किया जायेगा :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. उप निदेशक, मुख्यालय, नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय	सदस्य
3. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि	सदस्य
4. उद्योग विभाग के संयुक्त/उप निदेशक	सदस्य
5. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा सचिव तथा विकास प्राधिकरण न होने की दशा में सम्बन्धित स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि जो अधिशासी अधिकारी से कम स्तर का न हो।	सदस्य
6 <sup>प</sup> हाउसिंग बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
7 <sup>प</sup> सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी	सदस्य सचिव

5. नगर बस्ती आवंटन समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीसरे माह होगी परन्तु आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा उसकी बैठक उसके पूर्व भी आहूत की जा सकती है। नगर बस्ती आवंटन समिति के विचारोपरान्त समस्त आवेदन-पत्र समिति की संस्तुति सहित सक्षम प्राधिकारी, निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को भेजेंगे शासन द्वारा आवश्यक छान-बीन करने के उपरान्त आवास एवं नगर विकास मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर भूमि आवंटित की जायेगी।

6. भूमि का अधिमूल्य एवं अन्य व्ययों का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात शासन की ओर से पट्टा विलेख का निष्पादन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्डों का उपयोग महायोजना में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर ही किया जायेगा। सशर्त अधिकार शाश्वत पट्टे का केवल तब तक के लिये होगा जब तक महायोजना के अनुसार भू उपयोग अनुमन्य हो। जहाँ महायोजना लागू नहीं है, वहाँ वास्तविक भू उपयोग तथा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जायेगा। औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि की एक शर्त यह भी होगी कि ऐसा उद्योग लगाया जाय, जिससे वातावरण प्रदूषित न हो। महायोजना में विनिर्दिष्ट भू उपयोग के अनुसार पार्क, क्लब, विद्यालय, चिकित्सालय, क्रीडा स्थल, स्टेडियम प्रभृत् सार्वजनिक निर्माण कराये जा सकेंगे परन्तु कब्रगाह एवं श्मशान प्रभृत् स्थलों की स्थापना नहीं की जायेगी। आवासीय आवंटन की एक शर्त यह भी होगी कि निर्माण कार्य भवन निर्माण विनियम के अन्तर्गत किया जायेगा। आवासीय भवनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के आवंटनों में सीमाधिक्य रिक्त भूमि की छूट शासन द्वारा स्वप्रेरणा पर दी जायेगी।

8. इन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त सामान्य रूप से यह शर्त भी होगी कि नगर बस्ती आवंटन समिति द्वारा संस्तुति एक निर्धारित अवधि के भीतर जिसका उल्लेख आवंटन आदेशों में किया जायेगा, पूरे भूखण्ड का उपयोग प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आवंटन के उपरान्त भूमि पर लगने वाली समस्त करों तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन व्यय पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देने पश्चात शासन द्वारा आवंटन रद्द किया जा सकता है। फलस्वरूप भूखण्ड समस्त विलंगनों से मुक्त होकर उल्लंघन की तिथि से राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी तथा उल्लंघनकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे विकास एवं सन्निर्माण सामग्री हटाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह अनुमति एक निर्धारित अवधि के लिये निश्चित होगी, जो अधिकतम तीन माह हो सकती है।

9. आवंटन से प्राप्त होने वाली धनराशि से एक निधि की स्थापना की जायेगी तथा इसका प्रयोग नागरिक सुविधाओं के लिये किया जा सकेगा, जिसके सम्बन्ध में निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

10. आवंटन से प्राप्त धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,  
लालता प्रसाद  
संयुक्त सचिव।

संख्या : 559(1)/ उन्चास-109 यू0सी0/81-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सक्षम प्राधिकारी, नगर उपान्त क्षेत्र नगर भूमि सीमा रोपण कार्यालय आगरा/ अलीगढ़/ इलाहाबाद/ बरेली/ गोरखपुर/ देहरादून/ कानपुर/ लखनऊ/ मेरठ/ मुरादाबाद/ सहारनपुर/ वाराणसी।
2. जिलाधिकारी आगरा/ अलीगढ़/ इलाहाबाद/ बरेली/ गोरखपुर/ देहरादून/ कानपुर/ लखनऊ / मेरठ / मुरादाबाद/ सहारनपुर/ वाराणसी।
3. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण आगरा/ इलाहाबाद/ कानपुर/ लखनऊ/ मेरठ/ बरेली/ मुरादाबाद/ वाराणसी/ गोरखपुर।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, सहारनपुर/ देहरादून/ अलीगढ़
8. मण्डलायुक्त, आगरा/ इलाहाबाद/ बरेली/ गोरखपुर/ लखनऊ/ मेरठ/ मुरादाबाद/ वाराणसी/ पौड़ी गढ़वाल।
9. आवास एवं नगर विकास सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
11. गोपन अनुभाग को उनके अशा0प0सं0-4/2/5/84-सी-एक्स(1), दिनांक 13-2-1984 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,  
लालता प्रसाद  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मेरठ/बरेली/सहारनपुर/देहरादून/आगरा/अलीगढ़/वाराणसी/  
लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/मुरादाबाद/कानपुर

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 1996

विषय :नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित व कब्जे में ली गयी भूमि को अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत आवंटित करने सम्बन्धी शासनादेशों से उत्पन्न संशय का निराकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में प्राप्त भूमि का अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा विधि प्रक्रिया एवं शर्तों को अंकित करते हुये विस्तृत शासनादेश संख्या-559/उन्चास-109 यू0सी0/81, दिनांक 27 फरवरी, 1994 निर्गत किया गया था। समय-समय पर शासन को प्राप्त विभिन्न तों से पृच्छा किये जाने पर इसी सन्दर्भ में पार्श्वकित शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जो आपको सम्बोधित हैं :-

1. शास0 सं0 - 1764/49-86-न0भ0-अनु, दिनांक 16-5-86
2. शास0 सं0 - 2575/49-87-109 यू0सी0/87, दिनांक 4-6-1987
3. शास0 सं0 - 216/9-न0भ0-92-109 यू0सी0/87, दिनांक 7-2-1992

2. इसी विषय में पुनः कतिपय तों से संशय/जिज्ञासायें शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके समाधान हेतु पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः इस प्रकरण में शासनादेश संख्या-764/9-न0भ0-92-109 यू0सी0/91, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 (प्रति संलग्न) द्वारा शासन के अन्तिम अभिमत से आपको अवगत कराया जा चुका है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सीलिंग की अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि पर अधिनियम की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार कब्जा प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से 6 माह के भीतर यह निर्णय प्राप्त कर लेना होगा कि उन एजेन्सियों को उक्त भूमि अपनी योजना के लिये लेनी है अथवा नहीं, और जो भूमि उनके द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये शासनादेश दिनांक 27-2-1984 में प्राविधानित आपकी अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति आवंटन की संस्तुति विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी। स्पष्टतया शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की पृष्ठभूमि में इस मामले में किसी संशय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। फिर भी निम्न दिशानिदेश अनुपालन हेतु पुनः आपके संज्ञान में लाया जा रहा है :-

(क) सीलिंग अधिनियम, 1976 की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासन में निहित हो चुकी भूमि का तत्काल कब्जा लिया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में "राज्य सरकार" के नाम अविलम्ब अमल दरामद कराया जाय।

(ख) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अधिकतम 6 माह में उनका निर्णय प्राप्त कर लें कि वे उक्त भूमि को लेना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि वे इच्छुक हों तो वह भूमि उन्हें हस्तान्तरित कर दिया जाय। इस प्रकार जो भूमि विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद को दी जायेगी, उसका मूल्य वे 5



वार्षिक किस्तों में शासन के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा करेंगे। जो भूमि इन एजेन्सियों द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति द्वारा आवंटन की संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मेरठ/बरेली/सहारनपुर/देहरादून/आगरा/अलीगढ़/वाराणसी/  
लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/मुरादाबाद/कानपुर

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 1996

विषय :नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित व कब्जे में ली गयी भूमि को अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत आवंटित करने सम्बन्धी शासनादेशों से उत्पन्न संशय का निराकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में प्राप्त भूमि का अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा विधि प्रक्रिया एवं शर्तों को अंकित करते हुये विस्तृत शासनादेश संख्या-559/उन्चास-109 यू0सी0/81, दिनांक 27 फरवरी, 1994 निर्गत किया गया था। समय-समय पर शासन को प्राप्त विभिन्न तों से पृच्छा किये जाने पर इसी सन्दर्भ में पार्श्वकित शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जो आपको सम्बोधित हैं :-

1. शास0 सं0 - 1764/49-86-न0भ0-अनु, दिनांक 16-5-86
2. शास0 सं0 - 2575/49-87-109 यू0सी0/87, दिनांक 4-6-1987
3. शास0 सं0 - 216/9-न0भ0-92-109 यू0सी0/87, दिनांक 7-2-1992

2. इसी विषय में पुनः कतिपय तों से संशय/जिज्ञासायें शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके समाधान हेतु पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः इस प्रकरण में शासनादेश संख्या-764/9-न0भ0-92-109 यू0सी0/91, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 (प्रति संलग्न) द्वारा शासन के अन्तिम अभिमत से आपको अवगत कराया जा चुका है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सीलिंग की अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि पर अधिनियम की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार कब्जा प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से 6 माह के भीतर यह निर्णय प्राप्त कर लेना होगा कि उन एजेन्सियों को उक्त भूमि अपनी योजना के लिये लेनी है अथवा नहीं, और जो भूमि उनके द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये शासनादेश दिनांक 27-2-1984 में प्राविधानित आपकी अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति आवंटन की संस्तुति विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी। स्पष्टतया शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की पृष्ठभूमि में इस मामले में किसी संशय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। फिर भी निम्न दिशानिदेश अनुपालन हेतु पुनः आपके संज्ञान में लाया जा रहा है :-

(क) सीलिंग अधिनियम, 1976 की धारा-10(5) के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासन में निहित हो चुकी भूमि का तत्काल कब्जा लिया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में "राज्य सरकार" के नाम अविलम्ब अमल दरामद कराया जाय।

(ख) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अधिकतम 6 माह में उनका निर्णय प्राप्त कर लें कि वे उक्त भूमि को लेना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि वे इच्छुक हों तो वह भूमि उन्हें हस्तान्तरित कर दिया जाय। इस प्रकार जो भूमि विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद को दी जायेगी, उसका मूल्य वे 5

वार्षिक किरस्तों में शासन के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा करेंगे। जो भूमि इन एजेन्सियों द्वारा नहीं ली जायेगी, उसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति द्वारा आवंटन की संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। पुनः सुस्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 27-2-1984 अतिक्रमित नहीं किया गया है।

(ग) शासन में निहित भूमि व जिलाधिकारी द्वारा कब्जे में ली गयी भूमि को अवैध कब्जों, अवैध निर्माण से बचाने की गम्भीर समस्या है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किया जा चुका है, उसके सम्बन्ध में आवंटी विभाग/आवंटी संस्था का दायित्व होगा कि उन पर अवैध कब्जा या अवैध निर्माण न हो। जिस भूमि का आवंटन न अभी नहीं हुआ अथवा जो आवंटन हेतु अवशेष है उन पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण न हो, इसे सम्बन्धित जिलाधिकारी को सुनिश्चित कराना होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार पुलिस प्रशासन की सहायता भी ले सकते हैं। इस विषय में तात्कालिकता से राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराना अत्यन्त सहायक होगा।

(घ) आवासीय प्रयोजन हेतु विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, स्थानीय निकाय, दुर्बल वर्ग आवास निगम अथवा पंजीकृत सहकारी आवासन समितियों को भूमि बाजार मूल्य पर आवंटित किये जाने की व्यवस्था यथावत है। बाजार मूल्य का आशय भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से है और इसके लिये प्रासंगिक तिथि वह है जिस दिन भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटन की संस्तुति की जाती है किन्तु कतिपय जनपदों से गलत व अतिशय बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने की शिकायतें शासन के संज्ञान में लायी गयी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि बाजार मूल्य का निर्धारण रूटिन तरीके से न किया जाय। अपितु यह देख लिया जाय कि आवंटित की जाने वाली सरप्लस सीलिंग भूमि की क्या स्थिति/परिस्थिति है तथा यह किस सीमा तक विकसित है। यह हो सकता है कि आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को आवंटी/आवंटी संस्था द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु अपेक्षित मानक स्तर तक लावें, उसे आस पास के क्षेत्र के अनुसार विकसित करने, उनका वाह्य विकास या सामूदायिक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने में भवन निर्माण के पूर्व ही भारी व्यय निहित हो, तो ऐसी स्थिति में इन बिन्दुओं पर सम्यक् विचार कर लेने के पश्चात ही युक्तिसंगत बाजार मूल्य को निर्धारण किया जाना सम्भव हो सकेगा। अन्यथा इनका मूल्य भूमि के वास्तविक व आसपास के विकसित भूमि के मूल्य से अप्रत्याशित रूप से अधिक हो जायेगा तथा जो सीलिंग अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनेगा।

3. आप सहमत होंगे कि अधिकांश समय तक शासन में निहित भूमि का निस्तारण न होने से जहाँ अवैध कब्जे व अवैध निर्माण की सम्भावना बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर इनके अवैध अन्तरण की गुंजाइश भी रहती है। अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-शासनादेश दिनांक 30, अप्रैल, 1992

भवदीय,  
अखण्ड प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या-317(1)/9-न0भू0-96-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त/आगर/मेरठ/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/गोरखपुर/बरेली/मुरादाबाद व पौड़ी गढ़वाल।
3. निदेशक, नगर भूमिसीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित कि वे समस्त सक्षम प्राधिकारियों को अपने स्तर से अवगत करा दें।
4. मुख्य नगर एवं भूमि नियोजक, 7-बन्दरियाबाग, लखनऊ
5. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

अनुसचिव।

आज्ञा से,  
शिशिर कुमार यादव

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, अलीगढ़  
वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 1996

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में ली गयी भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत सीलिंग से अप्रभावित भूमि को कम करते हुये सीमाधिक्य भूमि की गणना सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाती है और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् धारा-10(3) व 10(5) के अन्तर्गत सीमाधिक्य भूमि के अन्तिम रूप में शासन में निहित हो जाने एवं कब्जा प्राप्त हो जाने पर उसका आवंटन/निस्तारण अधिनियम की धारा-23 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा शासनादेश संख्या-559/उन्चास- 109 यू0सी0/82, दिनांक 27-2-1984 एवं शासनादेश संख्या-317/9-न0भू0/96-109 यू0सी0/81, दिनांक 27-2-1996 में विहित विधि प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस शासनादेश के अनुसार सीलिंग की भूमि आवंटित करने में विकास प्राधिकरणों आवास एवं विकास परिषद और विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि धारा-10(5) के अन्तर्गत कब्जे में ली गयी काफी भूमि आवंटन हेतु अवशेष पड़ी है और ऐसी भूमि के आवंटन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है, जिसके फलस्वरूप ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण की सम्भावना सदैव बनी हुयी हैं। इन अवशेष पड़ी भूमि के त्वरित आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन में उक्त शासनादेशों दिनांक 27-2-1984 व 27-2-1996 तथा अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये निम्न निर्णय लिये हैं :-

- (1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन में निहित समस्त सीमाधिक्य भूमि नजूल भूमि की तरह विकास प्राधिकरणों को रख रखाव के लिये हस्तान्तरित कर दी जायेगी, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा, जो भूमि विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अपनी योजनाओं के लिये उपयुक्त न होगी, यह भी विकास प्राधिकरणों की अभिरक्षा में ही रहेगा।
- (2) अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपकरणों को राज्य सरकार में निहित ऐसी सीमाधिक्य भूमि का आवंटन शासनादेश दिनांक 27-2-1984 उल्लिखित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अब सीधे किया गया जायेगा तथा आवंटित भूमि का निर्धारित भू-मूल्य जमा हो जाने पर उसका कब्जा आवंटी विभाग को जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे दे दिया जायेगा। अतः इस कोटि के प्रकरणों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि आवंटी विभाग द्वारा दीर्घ अवधि तक आवंटित भूमि का मूल्य सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी उसी भूमि को आवश्यकतानुसार किसी दूसरे

- इच्छुक विभाग के पक्ष में भी आवंटित कर सकते हैं। ऐसे आवंटनों के लिये शासनादेश दिनांक 27-2-1984 के अनुसार गठित आवंटन समिति में सदस्य सचिव, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर अब सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव होंगे जो बैठक का आयोजन करायेंगे। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, समिति की सदस्य की हैसियत से अपना प्रभावी सहयोग देंगे।
- (3) विकास प्राधिकरणों की जो भूमि हस्तान्तरित हो जायेगी उस पर अवैध कब्जे व निर्माण हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा ही यथाआवश्यक जिला प्रशासन की सहायता लेकर की जायेगी।
  - (4) समस्त सीमाधिक्य भूमि जो विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित होगी, से सम्बन्धित अभिलेखों की रख-रखाव विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।
  - (5) शासनादेश दिनांक 27-2-1984 व 27-2-1996 तथा एतद्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में अन्य व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेंगी।
2. अनुरोध है कि क पया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
अखण्ड प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2893(1)/9-न0भू0-96 तददिनांक।

1. मण्डलायुक्त, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल।
2. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. सक्षम प्राधिकारी, समस्त नगर बस्ती, उत्तर प्रदेश को इस अभ्युक्ति सहित कि इसका व्यापक प्रचार व प्रसार कराया जाय।
5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद व कानपुर।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
शिशिर कुमार यादव  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश,  
जवाहर भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,  
नगर भूमि सीमारोपण,  
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर  
मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 1 फरवरी, 2000

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरसन अधिनियम, 1999 की धारा-4 के अनुसार मूल अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत लम्बित वाद व अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थीं, उपशमित हो जायेगा लेकिन निरसन अधिनियम की धारा-4 के परन्तुक (प्रोविजो) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा-11, 12, 13, 14 से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियाँ चालू रहेगी एवं मूल अधिनियम की धारा-33 एवं 34 के अन्तर्गत चल रहे वादों के उपशमन हेतु सम्बन्धित सक्षम न्यायालय अधिकरण या प्राधिकारी के संज्ञान में लाने हेतु तत्सम्बन्धित आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा तभी न्यायालय कथित प्राविधान का संज्ञान लेकर वादों को उपशमित कर सकेगा।

मूल अधिनियम की धारा-10 (3) के प्राविधान के अन्तर्गत जो भूमि राज्य में निहित नहीं हुयी है, उस भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा किये जाने का औचित्य नहीं है भले ही इस भूमि को सरप्लस घोषित किया गया हो। मूल अधिनियम की धारा-8(4) के अन्तर्गत जो भूमि रिक्त घोषित की गयी थी और धारा-10 (3) के अन्तर्गत राज्य में निहित हो चुकी थी एवं धारा-10(5) की कार्यवाही का आदेश हो चुका था लेकिन इस भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं प्राप्त हो सका था। इस प्रकार के प्रकरण निरसन अधिनियम की धारा-3(2) के अनुसार यदि शासन द्वारा प्रश्नगत भूमि के बाबत भू-धारक को कोई धनराशि अदा कर दी गयी थी। यदि राज्य सरकार द्वारा अदा की गयी धनराशि वापस करने की दशा में भू-धारक को प्रश्नगत भूमि प्रत्यावर्तित की जा सकती है। किन्तु अदा की गयी धनराशि भू-धारक द्वारा वापस न करने की दशा में भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः न्याय विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुक्रम में प्रचलित वादों के उपशमन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु वस्तुस्थिति सम्बन्धित न्यायालय के संज्ञान में लाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। सभी प्रश्नगत वादों में उपशमन हेतु आवेदन दिनांक 29-2-99 तक लगा देने चाहिये। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये क त कार्यवाही से शीघ्र शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

आज्ञा से,  
दीनदयाल  
संयुक्त सचिव।